प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1160 27- 5 (2008-09) जे0ए0 दिनांक : 31 मार्च 2012

विषय :- विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, अमरोहा, जनपद ज्योतिबा फूले नगर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, अमरोहा, जनपद ज्योतिबा फूले नगर विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से <u>प्रॉविजनल</u> सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नही है :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत समाप्त हो जायेगा।

5- संस्था के शैक्षिक एव शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।

9- राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम अमरोहा खास बाहर चुंगी, परगना व तहसील अमरोहा, जिला ज्योतिबा फूले नगर में स्थित गाटा स0 256 क्षेत्रफल 0.2750है0 में से 2106 वर्ग मी0 एवं गाटा स0 257 क्षेत्रफल 0.5510है0 में से 4195 वर्ग मी0 इस प्रकार कुल 02 किते क्षेत्रफल 6301 वर्ग मी0 भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वत. समाप्त समझी जायेगी। **उक्त वर्णित गाटों के संबंध में धारा-176 एवं 143 उ0प्र0 ज0वि0उ0 अधिनियम की कार्यवाही सक्षम न्यायालय से करायी जाये।**

11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ओ0पी0एन0 सिंह)
मण्डलायुक्त।

<u>संख्या एवं दिनांक : उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग,लखनऊ।

2- शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी ज्योतिबा फूले नगर।

5- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।

6- जिला विद्यालय निरीक्षक, ज्योतिबा फूले नगर।

7- प्रबंधक, विक्टोरिया पब्लिक स्कूल, अमरोहा, जनपद ज्योतिबा फूले नगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया **प्रस्तर-10** के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित कराकर वांछित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

Gitanjali
Principal
Victoria Public School
Bijnor Road, Amroha

SB
Manager
Victoria Public School
Bijnor Road, Amroha

(ओ0पी0एन0 सिंह)
मण्डलायुक्त।